(1)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्ष : आर. के.मिश्रा

सदस्य

प्रकरण कमांक II/निगरानी/रीवा/भू0रा0/2017/6358 विरूद्व आदेश दिनांक 23–12–2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा प्रकरण कमांक 124/अपील/2014–15

---

1. देवेश सिंह पिता स्व0 श्री बैजनाथ सिंह
2. मु0 सुनैना सिंह पत्नी स्व0 श्री ज्ञानेन्द्र सिंह
3. पुष्पराज सिंह पिता स्व0 श्री ज्ञानेन्द्र सिंह
4. पुष्पेन्द्र सिंह पिता स्व0 श्री ज्ञानेन्द्र सिंह

सभी निवासी ग्राम बंधवाभाईबांट, तहसील नईगढ़ी, जिला रीवा म0प्र0

.....आवेदकगण

बनाम

1. गिरजेश सिंह पिता स्व0 श्री उमेश सिंह
2. अमरीश सिंह पिता स्व0 श्री उमेश सिंह
3. मु0 जनकराज सिंह पत्नी स्व0 श्री उमेश सिंह

सभी निवासी ग्राम बंधवाभाईबांट, तहसील नईगढ़ी, जिला रीवा म0प्र0

.....अनावेदकगण

---

श्री रमकांत पटेल, अभिभाषक, आवेदकगण

श्री गंगाप्रसाद चतुर्वेदी, अभिभाषक, अनावेदकगण

---

: : आ दे श : :

(आज दिनांक 07/11/19 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू– राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित दिनांक 23–12–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बंधवाभाईबांट स्थित भूमि खसरा कमांक 1370 रकवा 4.99 ए0, 1371 रकवा 0.98 ए0 एवं 1372 रकवा 0.76 ए0 कुल किता 3 कुल रकवा 6.76 ए0 का बटवारा नामांतरण हेतु

आवेदकगण ने विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र संहिता की धारा 178, 109/110 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया। तहसीलदार मऊगंज ने प्रकरण कमांक 66/अ–27/2006–07 में आदेश दिनांक 24–1–2008 से बटवारा नामांतरण आदेश पारित किया। जिसके विरूद्ध अनावेदक ने अनुविभागीय अधिकारी मऊगंज जिला रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 14–10–2014 से अनावेदकगण की अपील निरस्त की। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त ने दिनांक 23–12–2017 को आदेश पारित कर अनावेदकगण की अपील स्वीकार की तथा विचारण न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त किये जाकर अनावेदकगण के नाम प्रश्नाधीन भूमि पर नाम दर्ज करने के आदेश दिये। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि के भूमिस्वामी बैजनाथ थे, बैजनाथ की तीन संतान उमेश सिंह, स्व0 ज्ञानेन्द्र सिंह एवं देवेश सिंह थे। आवेदकगण द्वारा तहसील न्यायालय में संहिता की धारा 178 के तहत हिस्सेदारों के मध्य हक एवं कब्जे के आधार पर बटवारा हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। आवेदकगण द्वारा विचारण न्यायालय में बटवारा नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर तहसीलदार ने प्रकरण में विधिवत इश्तहार का प्रकाशन कराया है। अनावेदक को विधिवत सूचना जारी की गई है। बटवारा सभी पक्षों के हक एवं कब्जा को ध्यान में रखकर किया गया है जिसमें कोई अवैधानिकता प्रकट नहीं होती है। वस्तुतः उभय पक्षों के दरम्यान बटवारा मौके पर किया जा चुका है तथा पटवारी द्वारा कब्जे के आधार पर फर्द पुल्ली तैयार की गई थी। ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा पारित बटवारा आदेश को अनुचित नहीं कहा जा सकता। हक संबंधी विवाद का निपटारे के अधिकार राजस्व न्यायालय को न होकर व्यवहार न्यायालय को है

ऐसी स्थिति में यदि अनावेदकगण को हक संबंधी प्रश्न पर आपत्ति थी तब उन्हें व्यवहार न्यायालय में जाना चाहिए था। तहसीलदार द्वारा पारित वैधानिक बटवारा आदेश की पुष्टि अनुविभागीय अधिकारी ने भी अपने आदेश से की है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पूर्ण परीक्षण उपरांत जो आदेश पारित किया है वह उचित है। जहां तक अपर आयुक्त के आदेश का प्रश्न है अपर आयुक्त ने इस महत्वपूर्ण वैधानिक बिन्दु पर विचार नहीं किया कि स्व0 गुडुरू के लावल्द फौत होने के पश्चात बैजनाथ सिंह के सभी विधिक वारिसों के मध्य हक निहित हो गये अतः 1/3 हिस्सा उमेश सिंह के उत्तराधिकारी, 1/3 हिस्सा ज्ञानेन्द्र सिंह के उत्तराधिकारी एवं 1/3 हिस्सा देवेश सिंह के हक में निहित हो गया था। साथ ही आवेदन के अनुसार पुल्ली एवं पटवारी पुल्ली में भी एकरूपता पायी गयी। इसी आधार पर तहसीलदार ने बटवारा आदेश पारित किया था। ऐसी परिस्थिति में अपर आयुक्त द्वारा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों की वैधानिक स्थिति पर विचार न करते हुये अपील स्वीकार करने में त्रुटि की है, जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाती है। अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 23–12–2017 निरस्त किया जाकर तहसीलदार मऊगंज जिला रीवा का आदेश दिनांक 24–1–2008 एवं अनुविभागीय अधिकारी तहसीलदार मऊगंज जिला रीवा का आदेश दिनांक 14–10–2014 स्थिर रखा जाता है।

07/11/19

(आर0 के0 मिश्रा)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश,
ग्वालियर